

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 फरवरी 2014—माघ 21, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्र. एफ 22-1-14-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 95 तथा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 19 अगस्त, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 77 में, उपनियम (1क) में, खण्ड (चार) में, अनुक्रमांक 1, 2 व 3 के सामने, शब्द “चालक तथा परिचालक को छोड़कर” के स्थान पर, शब्द “चालक तथा परिचालक सहित” स्थापित किए जाएं.

No. F 22-01-14-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 95 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 the same having been previously published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)” dated 19th August, 2013 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 77, for sub-rule (1a), in clause (iv), against serial number 1, 2 and 3, for the words “excluding driver and conductor”, the words “including driver and conductor” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव.